बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0स0 :–2 / अ0प्र0–1–97 / 2017 683 / पटना, दिनांक :–05/04/23

श्री अजय कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के विरूद्ध अधिसूचना संख्या–1011 सह–पठित ज्ञापांक–1012 दिनांक 08.06.2022 द्वारा अधिरोपित दंड (निंदन, आरोप वर्ष–2016–17) पर पुनर्विचार हेतु श्री तिवारी के पत्रांक 21 अनु0 दिनांक 24.08.2022 के माध्यम से पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

2. श्री तिवारी के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा अन्तर्गत जी0टी0एस0एन0वाई0 से संबंधित माननीय स0वि0स0 से प्राप्त छूटे हुये टोलों / पथों का जॉचोपरान्त प्रतिवेदन विलंब से विभाग को समर्पित करने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित विभागीय पत्रांक 3212 दिनांक 08.11. 2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री तिवारी के पत्रांक 567 दिनांक 03.04.2018 से प्राप्त स्पष्टीकरण विभागीय समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में विभागीय पत्रांक 352 अनु0 दिनांक 21.01.2020 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री तिवारी के पत्रांक 140 दिनांक 10.02.2020 से प्राप्त बचाव बयान पर नोडल पदाधिकारी, जी0टी0एस0एन0वाई0 से मंतव्य प्राप्त किया गया। प्राप्त मंतव्य में श्री तिवारी द्वारा समर्पित बचाव बयान स्वीकारात्मक नहीं पाया गया। तद्‌लोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त अधिसूचना संख्या–1011 सह–पठित ज्ञापांक–1012 दिनांक 08.06.2022 द्वारा निंदन (आरोप वर्ष–2016–17) की शास्ति अधिरोपित की गयी।

4. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री तिवारी के पत्रांक 21 अनु0 दिनांक 24.08.02022 द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि प्रतिवेदन का ससमय समर्पित नहीं होना उनके परिधि / परिस्थिति से सर्वथा बाहर था। साथ ही श्री तिवारी द्वारा कहा गया कि अधिरोपित दंड के कारण उन्हें वर्ष 2017 में प्राप्त एम0ए0सी0पी0 की तीन वार्षिक वृद्धि प्रभावित हो जा रही है। इस प्रकार दिया गया दंड आरोप की तुलना में समानुपातिक बहुत ज्यादा होने का उल्लेख श्री तिवारी द्वारा किया गया।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 2011(चतुर्थ संशोधन) के भाग–VII में अपील का प्रावधान उल्लेखित है। उक्त नियमावली के नियम–25 में अपील हेतु परिसीमा काल निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार ''इस भाग के अधीन की जानी वाली कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक की वह अपील में अन्तर्ग्रस्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को दे दिये जाने की तिथि से पैंतालीस दिनों के अंदर न की गयी हो,''।

6. श्री तिवारी द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के विचारण के क्रम में पाया गया कि श्री तिवारी के विरूद्ध प्रश्नगत् दंडादेश दिनांक 08.06.2022 को निर्गत है, जबकि उनके द्वारा उक्त के विरूद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 24.08.2022 को की गयी है, जो पैंतालीस दिनों से अधिक की अवधि के बाद है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री तिवारी द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन कालबाधित होने के कारण ग्राह्य योग्य नहीं है।

7. अतः उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री अजय कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन कालबाधित होने के कारण ग्राह्य योग्य नहीं होने के फलस्वरूप इसे अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/3/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–97/2017 684 /पटना, दिनांक :– 05/04/23

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–97/2017 684 /पटना, दिनांक :– 05/04/23

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री अजय कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–97/2017 684 /पटना, दिनांक :– 05/04/23

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/3/2023

विशेष सचिव

20